

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-09.05.2023

सेवा में,

**SUNIL KUMAR MANDAL, MADAN LAL MONDAL,
MOHAN LAL MONDAL, SUBHASH CHANDRA MONDAL,
DURGA CHARAN MONDAL, DHIRENDRA NATH MONDAL,
SAI PLAZA,
NARAYANPUR, KOYLANAGAR, DHANBAD.**

**विषय:- मौजा-NARAYANPUR NO. 13, प्लॉट नं0-OLD-175, NEW-93, खाता नं0-
OLD-11, NEW- 17, वार्ड नं0-N/A, थाना-SARAIIDHELA, जिला-धनबाद में
प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित आवासीय भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धनबाद के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-343 दिनांक-06.05.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित आवासीय भवन के परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु भवन में कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM का एक-एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के बेसमेन्ट को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
6. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1650Lpm क्षमता का फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
11. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
12. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
13. भवन के प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी स्वचालित फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।
14. भवन में सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
15. सतही तल एवं मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
16. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।